न्यायालय : अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा, जिला, राजसमन्द।

पीठासीन अधिकारी : **सुनिल कच्छावाह,** आर.जे.एस.

मूल आपराधिक प्रकरण संख्या : **26/2026**

सी.आई.एस. संख्या : **684/2015**

सी.एन.आर. नम्बर : **RJRS070012302015**

राजस्थान राज्य

:: बनाम ::

नर्बदाबाई पत्नी निरंजन लाल, उम्र 75 वर्ष, निवासी गण्टेडी, थाना भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

अभियुक्ता

अपराध अन्तर्गत धारा 498–ए भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

उपस्थिति :

01. **विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी,** राज्य की ओर से।

02. **श्री सुनील पालीवाल,** विद्वान् अधिवक्ता, अभियुक्ता की ओर से।

।। निर्णय ।।

दिनाँक : 11.05.2026

01. प्रकरण के संक्षिप्त में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया श्रीमती लक्ष्मी उर्फ टीना द्वारा दिनाँक 07.07.2015 को परिवाद प्रदर्श पी 01 न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा के समक्ष विरुद्ध नर्बदा, लाडु, गणपत व लोकेश के इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि सभी अभियुक्तगण ने प्रार्थीया का विवाह दिनाँक 08.02.2014 को शोकिन उर्फ खेमराज के साथ यह जानते हुए कि उनका पुत्र एचआईवी पॉजिटिव बीमारी

से ग्रसित होने से सालभर भी मुश्किल से जीवित रहेगा फिर भी प्रार्थिया के साथ धोखाकर षडयंत्र कर प्रार्थीया की शादी शोकिन उर्फ खेमराज से कर दी। जबकि शोकिन का ईलाज चित्तौड़ एवं उदयपुर में चल रहा था। दिनाँक 19.11.2014 को 09 माह बाद ही शोकिन की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात् अभियुक्तगण ने दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना चालू कर दी तथा शोकिन की मृत्यु के पश्चात् 13 वे दिन ही प्रार्थीया के साथ मारपीट की और कहा कि रण्डी तु यहाँ से चली जा हम तुझे इस घर में नहीं रखेंगे और केरोसीन से जलाने की धमकी दी, सभी अभियुक्तगण प्रार्थीया के घर जेतेला आये और वहा पर भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और कहा कि तेरे पिता को कह दे कि हमारे साथ रहना हैं तो 5 लाख रूपये की व्यवस्था करें, अन्यथा घर में नहीं घुसने देंगे। जिस पर प्रार्थीया के भाई व मॉ ने समझाया कि उनकी इतनी हैसियत नहीं हैं और समाज में नाता भी नहीं होता हैं तो सभी अभियुक्तगण नहीं माने और प्रार्थीया को कह दिया कि जब तक रूपये की व्यवस्था करके नहीं आयेगी, घर में घुसने नहीं देंगे। अभियुक्तगण से स्त्रीधन मांगा तो लौटाने से इंकार कर दिया। इत्यादि।

02. परिवाद को न्यायालय द्वारा दिनाँक 08.07.2015 को पुलिस थाना नाथद्वारा को धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् प्रेषित किया गया, जिस पर पुलिस थाना नाथद्वारा में उक्त परिवाद के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 285/2015, अपराध अन्तर्गत धारा 498–ए, 406, 420, 120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

03. प्रकरण में दिनाँक 19.11.2015 को थानाधिकारी खमनोर की ओर से जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, अभियुक्ता **नर्बदा** के विरूद्ध अपराध अंतर्गत **धारा 498–ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** में आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर बाद कार्यालय जाँच एवं अवलोकन कर उक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्ता नर्बदा के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498–ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण को दाण्डिक मूल रजिस्टर में दर्ज किया गया।

04. प्रकरण में दिनाँक 14.07.2017 को बहस आरोप सुनी जाकर, अभियुक्ता नर्बदा पर अपराध अंतर्गत धारा 498–ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व

समझाया गया तो अभियुक्ता नर्बदा द्वारा आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही गयी।

05. कालांतर में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदया, राजसमन्द के आदेश क्रमांक 18, दिनाँक 15.01.2026 की अनुपालना में पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई, जिसका बाद विचारण एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा हैं।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में अग्रलिखित सूचीबद्ध मौखिक साक्ष्य में गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये।

मौखिक साक्ष्य

क्र.स.	साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	संबंधित विवरण
1.	P.W. 1	लक्ष्मी उर्फ टीना	परिवादीया
2.	P.W. 2	प्यारचंद	घटना की ताईद
3.	P.W. 2	श्रीमती जशोदाबाई	घटना की ताईद
4.	P.W. 3	मुरलीधर	घटना की ताईद
5.	P.W. 4	कन्हैयालाल	घटना की ताईद
6.	P.W. 5	लक्ष्मणसिंह	घटना की ताईद
7.	P.W. 6	ज्ञानेंद्रसिंह	तफ्तीशी हालात
8.	P.W. 7	कल्याणसिंह	घटना की ताईद

दस्तावेजी साक्ष्य

क्र. स.	दस्तावेज क्रमांक	विवरण	संबधित गवाह
1.	प्रदर्शपी–01	परिवाद	श्रीमती लक्ष्मी उर्फ टीना पी.ड. 01
2.	प्रदर्शपी–02	चाक् एफआईआर	श्रीमती लक्ष्मी उर्फ टीना पी.ड. 01
3.	प्रदर्शपी–03	स्त्रीध प्राप्ति का शपथ पत्र	श्रीमती लक्ष्मी उर्फ टीना पी.ड. 01
4.	प्रदर्शपी–04	परिवादीया को दिया	श्रीमती लक्ष्मी उर्फ टीना

		गया नोटिस	पी.ड. 01
5.	प्रदर्शपी–05 से 06	विवाह के फोटोग्राफ्स	श्रीमती लक्ष्मी उर्फ टीना पी.ड. 01
6.	प्रदर्शपी–07	मुरलीधर के पुलिस बयान	मुरलीधर पी.ड. 03
7.	प्रदर्शपी–08	कन्हैयालाल के पुलिस बयान	कन्हैयालाल पी.ड. 04
8.	प्रदर्शपी–08	लक्ष्मणसिंह के पुलिस बयान	लक्ष्मणसिंह पी.ड. 05
9.	प्रदर्शपी–09	विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र	ज्ञानेन्द्रसिंह पी.ड. 06
10.	प्रदर्शपी–10	वैवाहिक लग्न पत्रिका	ज्ञानेन्द्रसिंह पी.ड. 06
11.	प्रदर्शपी–11	प्रार्थिया के पति के ईलाज के कागजात	ज्ञानेन्द्रसिंह पी.ड. 06
12.	प्रदर्शपी–12	स्त्रीधन हेतु प्रार्थना–पत्र	ज्ञानेन्द्रसिंह पी.ड. 06
13.	प्रदर्शपी–13	कल्याणसिंह के पुलिस बयान	कल्याणसिंह पी.ड. 07

07. प्रकरण में विचारण के दौरान् गवाह प्यारचन्द पी.ड. 02 की दिनाँक 11.02.2026 को, गवाह मांगीलाल व इन्द्रसिंह की दिनाँक 12.02.2026 तथा गवाह महेन्द्रसिहं की दिनाँक 23.02.2026 को मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर गवाहान् की तलबी बंद की गयी।

08. प्रकरण में साक्ष्य अभियोजन के दौरान् अभियोजन की ओर से गवाह कन्हैयालाल व लक्ष्मणसिंह के पुलिस बयान को एक ही प्रदर्श पी 08 अंकित कर दिया गया। न्यायालय द्वारा साक्ष्य के विवेचन के दौरान् प्रदर्शित दस्तोवज को गवाह के नाम के साथ उल्लेखित किया जायेगा।

09. अभियोजन साक्ष्य के पश्चात् अभियुक्ता नर्बदा का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) के तहत किया गया, जिसमें अभियुक्ता नर्बदा ने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताकर प्रकरण में स्वयं का निर्दोष होना एवं झूठा फंसाये जाने के कथन किये एवं साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में पर्याप्त

अवसर दिये जाने के बाद भी साक्ष्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं करने पर न्यायालय द्वारा दिनाँक 15.04.2026 को साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर बंद किया गया।

10. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया है कि परिवादीया को अभियुक्ता नर्बदा द्वारा उसके पति के स्वर्गवास के बाद दहेज की मॉग को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, अभियोजन की ओर से परीक्षित सभी गवाहान् द्वारा अभियोजन का समर्थन किया गया हैं। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त नर्बदा के विरूद्ध आरोपित अपराध पूर्णतया प्रमाणित हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

11. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया गया कि प्रकरण मे अभियुक्ता को गलत रूप से संलिप्त किया गया हैं, अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का अपराध नहीं किया गया हैं। अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया। अभियोजन गवाहान् के बयानों में भारी विरोधाभास हैं। वास्तविकता में परिवादीया द्वारा उसके पति के स्थान पर नौकरी प्राप्त करने के आशय से दबाव बनाने के लिये मुकदमा दर्ज करवाया गया। अभियुक्ता के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं हैं। इसलिये अभियुक्ता नर्बदा को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

12. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण के सुविधापूर्वक एवं न्यायपूर्ण विनिश्चय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदु हैं :—

01. क्या अभियुक्ता ने परिवादीया श्रीमती लक्ष्मी उर्फ टीना के साथ विवाह के बाद से उसके पति के नातेदार/सास होते हुए दहेज में पाँच लाख रूपये की मांग की एवं जिसकी पूर्ति नहीं होने पर उसे प्रताड़ित कर शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित की गयी ?

02. यदि उपर्युक्त विचारणीय बिंदु प्रमाणित होता हैं तो उचित दण्ड क्या होगा?

13. प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का विवेचन किये जाने से पूर्व अभियुक्ता पर आरोपित अपराध से संबंधित विधिक प्रावधान का अध्ययन किया जाना आवश्यक हैं।

14. अभियुक्ता पर धारा 498—ए, भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप है।

अतः धारा **498–ए भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के गठन हेतु अभियोजन पक्ष को निम्न तथ्य साबित करना आवश्यक हैं।

(1.) एक महिला आवश्यक रूप से विवाहित हो या

(2.) उसके साथ उसके पति द्वारा/पति के किसी नातेदार द्वारा क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया हो या,

(3.) क्रूरता इस प्रकृति की हो कि :–

(A) जानबूझकर किया गया आचरण, जो ऐसी प्रकृति का हो, जो

(क) उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे या,

(ख) उस स्त्री के जीवन अंग या स्वास्थ्य की जो चाहे शारीरिक हो या मानसिक गंभीर क्षति कारित करने की संभावना हो।

(B) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि :–

(क) किसी सम्पत्ति या मूल्यावान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रताडित किया जाए या,

(ख) स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

15. अब न्यायालय को यह देखना हैं कि क्या उपर्युक्त साक्ष्य अभियोजन से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498–ए भारतीय दण्ड संहिता का युक्तियुक्त संदेह की परिधि से परे साबित हैं? धारा 498–ए भारतीय दण्ड संहिता की परिधि अत्यंत व्यापक हैं, जिसके अंतर्गत क्रूरता को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया हैं तथा क्रूरता को उक्त धारा के स्पष्टीकरण (क) व (ख) में परिभाषित किया गया हैं।

16. अभियुक्ता पर धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का भी आरोप हैं। धारा 04 किसी व्यक्ति, यथास्थिति वधू या वर के माता–पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करने पर दण्ड का प्रावधान करती हैं।

17. इस प्रकार जहाँ तक धारा 498–ए के स्पष्टीकरण (क) व (ख) भारतीय दण्ड संहिता का प्रश्न हैं, इस स्पष्टीकरण के अंतर्गत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन किया जाए तो प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह परिवादीया **श्रीमती लक्ष्मी उर्फ टीना पी.ड. 01** हैं, जिसके द्वारा परिवाद प्रदर्श पी 01 में उसका विवाह दिनाँक 08.02.2014 को अभियुक्ता नर्बदा के पुत्र शोकिन उर्फ

खेमराज के साथ होना व अभियुक्ता नर्बदा का उसकी सास होने बाबत अभिकथन किया गया हैं, जिसकी पुष्टि परिवादीया ने न्यायालय के समक्ष हुए सशपथ कथनों में भी की हैं। परिवादीया का विवाह अभियुक्ता के पुत्र के साथ होने के तथ्य का अन्य गवाहान द्वारा भी समर्थन किया गया। अतः यह प्रमाणित हैं कि अभियुक्ता परिवादीया के पति की नातेदार/रिश्तेदार हैं।

18. जहाँ तक परिवादीया के साथ अभियुक्ता नर्बदा द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किये जाने का प्रश्न हैं, तो इस संबंध में परिवादीया द्वारा परिवाद प्रदर्श पी 01 में मुख्यतः दिनाँक 08.02.2014 को उसका शोकिन उर्फ खेमराज के साथ विवाह होने व अभियुक्ता द्वारा उसके पति के एचआईवी पॉजीटिव होने के तथ्य को छिपाकर शादी करने व विवाह के 09 माह बाद ही दिनाँक 19.11.2014 को मृत्यु होने तथा उसके पति की मृत्यु होने के बाद समय समय पर अभियुक्ता द्वारा दहेज में 05 लाख रूपये की माँग को लेकर प्रताड़ित किये जाने का उल्लेख किया गया।

19. परिवादीया **श्रीमती लक्ष्मी उर्फ टीना पी.ड. 01** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान् मुख्य परीक्षा में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में वर्णितानुार अभियुक्ता द्वारा उसके पति का स्वर्गवास होने के बाद से समय समय पर दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित किये जाने एवं मारपीट किये जाने के कथन किये गये। प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि शादी के 6–7 माह माह तक अपने पति के साथ पति–पत्नी के रूप में रही। उसने पति के एचआईवी पॉजीटिव होने की रिपोर्ट पुलिस को दी थी, लेकिन पत्रावली पर नहीं हैं। उसकी एचआईवी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उसके जेवरात उसके पास ही हैं। उसके पति की नौकरी उनके पिताजी के जगह अनुकंपा में लगी थी, उसके पति की जगह उसकी अनुकंपा में नौकरी लगी। उसका हास्पीटल में मेडिकल हुआ, उसने अपने शरीर पर आई चोटें डॉक्टर को बताई थी, वह पत्रावली पर नहीं हैं। अधिक समय होने से याद नहीं हैं कि उसने घटना कारित होने के कितने समय बाद रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। उसने रिपोर्ट 08 माह बाद इसलिये दर्ज करवायी की इतने दिन इंतजार किया कि शायद समझाईश से विवाद खत्म हो जाये। वह अपने पति की मृत्यु के बाद पीहर आ गयी, उसके बाद नर्बदा व अन्य कभी भी उसके पीहर नहीं आये। नर्बदा से कोई स्त्रीधन लेना बकाया नहीं हैं। उसकी सास ने देवर की नौकरी लगाने के लिये बोला था, इस सुझाव को गलत बताया

कि उसने दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा किया।

20. साक्ष्य अभियोजन में अन्य गवाह **जशोदा बाई पी.ड. 02** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान कथन किया गया कि उसके दामाद की नौकरी उसके पिताजी की जगह लगी थी। **उसकी बेटी की सास कहती थी कि नौकरी उसके दूसरे बेटे की लगाओ, जिस कारण से उनके झगड़ा हुआ था। 01 साल तक उनकी बेटी की सास ने नौकरी नहीं आने दी, जिस कारण से उन्होंने यह मुकदमा दर्ज करवाया।**

21. साक्ष्य अभियोजन के दौरान अन्य गवाह **मुरलीधर पी.ड. 03** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान परिवादिया लक्ष्मी व उसके ससुराल वालों के बीच में क्या विवाद हैं, इसकी जानकारी होने से इंकार किया गया एवं यह कथन किया गया कि टीना के पति के देहांत के बाद टीना नौकरी पर लगना चाह रही थी और उसकी सास नर्मदा उसके दूसरे लड़के को नौकरी पर लगवाना चाहती थी। इसलिए मुकदमा करवाया था।

22. साक्ष्य अभियोजन के दौरान गवाह **कन्हैयालाल पी.ड. 04, लक्ष्मणसिंह पी.ड. 05** व **कल्याण सिंह पी.ड. 07** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान परिवादिया से अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार के दहेज की मांग नहीं किए जाने एवं मूल रूप से क्या विवाद था, उसकी जानकारी नहीं होने का कथन किया गया।

23. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी **ज्ञानेंद्र सिंह पी.ड. 06** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान मुख्य परीक्षा में अभियोजन के अनुसार कथन किए गए। प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि प्रार्थीया का स्त्रीधन सभी उसके पास था जो अनुसंधान के दौरान ही प्राप्त किया था। उसके सामने प्रार्थीया ने स्त्रीधन प्राप्त नहीं किया। उसके द्वारा पीड़िता के पति को एड्स होने की कोई रिपोर्ट शामिल पत्रावली नहीं की। उसने एफआईआर विलंब के संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया। इस सुझाव को गलत बताया कि प्रार्थीया ने अपने पति की जगह नौकरी प्राप्त करने के लिए यह मुकदमा दर्ज करवाया हो। उसने सिर्फ नर्बदा के खिलाफ फरियादी पक्ष के बयानों के आधार पर ही अपराध प्रमाणित माना।

24. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन किया जाने से से यह प्रकट होता है कि परिवादिया श्रीमती लक्ष्मी उर्फ टीना द्वारा परिवाद प्रदर्श पी 01 में यह अभिकथन किया गया कि अभियुक्ता द्वारा उसके पति शौकिन उर्फ खेमराज के एचआईवी पॉजीटिव होने के तथ्य को छिपाकर

शादी करवायी थी लेकिन अभियोजन की ओर से ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी एवं ना ही प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ज्ञानेन्द्रसिंह द्वारा अनुसंधान के दौरान् ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त की गयी। परिवादीया द्वारा परिवादी प्रदर्श पी 01 में अभियुक्ता द्वारा कब व किस दिनाँक को दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित किया गया, इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट अभिकथन नहीं किये गये एवं ना ही साक्ष्य के दौरान् कोई विशिष्ट कथन किये गये। परिवादीया द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में उसके पति के स्वर्गवास के बाद अभियुक्ता द्वारा उसके पीहर जेतेला आकर दहेज में 05 लाख रूपये की माँग किया जाना उल्लेखित किया गया। जबकि साक्ष्य के दौरान् परिवादीया द्वारा कथन किया गया कि उसके पीहर आने के बाद नर्बदा व अन्य उसके पीहर कभी नहीं आये। उक्त तथ्य परस्पर विरोधाभासी हैं। जिससे परिवाद प्रदर्श पी 01 में वर्णित तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। प्रकरण में साक्ष्य के दौरान् स्वयं परिवादिया की माता श्रीमती जशोदा बाई द्वारा यह स्वीकार किया कि परिवादिया की सास अपने बेटे की जगह दूसरे बेटे को नौकरी पर लगाना चाहती थी। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ और इसीलिए उन्होंने यह मुकदमा दर्ज कराया। जिससे भी यह प्रकट होता हैं कि मूल विवाद का कारण दहेज प्रताड़ना का नहीं होकर अनुकंपा नौकरी के सम्बन्ध में था। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी गवाहान द्वारा अभियुक्त द्वारा परिवादिया को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया हो इस संबंध में कोई कथन नहीं किए गए।

25. अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य किसी भी गवाह द्वारा विशिष्टतः कब व किस दिनाँक को अभियुक्त द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया और शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया गया हो इस संबंध में कोई विशिष्ट कथन नहीं किए गए। अस्पष्ट और सामान्य आरोप धारा 498 ए भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक तत्व को प्रमाणित नहीं करते हैं।

26. इस प्रकार जहाँ तक धारा 498–ए स्पष्टीकरण (क) भारतीय दण्ड संहिता का प्रश्न हैं, इस स्पष्टीकरण के अंतर्गत वर्तमान प्रकरण किसी प्रकार से नहीं आता हैं, क्योंकि अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं हैं जिससे यह साबित हो सकता हो कि अभियुक्ता नर्बदा द्वारा ऐसा कोई जानबूझकर आचरण किया गया हो, जिसके परिणामस्वरूप परिवादीया को आत्महत्या के

लिए प्रेरित होना पड़े। इसी प्रकार परिवादीया के जीवन अंग या स्वास्थ्य के प्रति गंभीर क्षति या खतरा होना भी साक्ष्य अभियोजन से साबित नहीं हैं। दहेज की मॉग के संबंध में अभियोजन कहानी की पुष्टि स्वयं परिवादीया पी. डब्ल्यू 01 श्रीमती लक्ष्मी उर्फ टीना की साक्ष्य से नहीं होती हैं, साथ ही किसी भी गवाहान ने दहेज में किसी राशि की या सामान की अवैध मांग को लेकर परिवादीया के साथ आरोपी द्वारा शाारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के संबध में भी साक्ष्य नहीं दी हैं। अभियोजन साक्ष्य से धारा 498—ए भारतीय दण्ड संहिता के स्पष्टीकरण (क) व (ख) में परिभाषित क्रूरता साबित नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त अभियुक्ता द्वारा दहेज की माँग किये जाने के आवश्यक तत्व भी अभियोजन साक्ष्य से संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। उपरोक्त सम्रग विवेचन के परिणामस्वरूप यह स्पष्ट हैं कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्ता नर्बदा के विरूद्ध धारा 498—ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आवश्यक अवयव/संघटक को साबित कराने में असफल रहा हैं।

27. इस प्रकार सम्पूर्ण साक्ष्य के समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध यह युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि परिवादीया श्रीमती लक्ष्मी उर्फ टीना को अभियुक्ता द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे तंग—परेशान कर प्रताड़ित किया गया तथा परिवादीया के साथ मानसिक व शारीरिक क्रूरता कारित की गई हो।

28. उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता। जिसका लाभ अभियुक्ता को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। ऐसी स्थिति मे ं अभियुक्ता नर्बदा को अपराध अन्तर्गत धारा 498—ए भारतीय दण्ड संहिता व धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

।। आदेश।।

29. अतः अभियुक्त **नर्बदाबाई** पत्नी निरंजन लाल, उम्र 75 वर्ष, निवासी गण्टेडी, थाना भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ को अपराध अंतर्गत **धारा 498—ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860** व **धारा 04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** में दोषमुक्त घोषित किया जाता हैं।

29.1 अभियुक्ता के नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

29.2 अपील होने की सूरत में धारा 437—ए दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 481, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु 10,000/— रूपये की जमानत, व इतनी ही राशि के मुचलकें के दस्तावेज दिनाँक 25.03.2026 को प्रस्तुत कर तस्दीक करवाये जा चुके हैं।

29.3 निर्णय की एक प्रति अविलंब ई—कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

(सुनिल कच्छावाह)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नाथद्वारा, राजसमन्द।

30. निर्णय व आदेश आज दिनाँक 11.05.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनिल कच्छावाह)
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नाथद्वारा, राजसमन्द।